उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-08/2022-23

सरकार

बनाम्

कुन्दन कुमार

-: आदेश :-

दिनांक 14/10/22

विपक्षी के अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी वकील को एक पक्षीय सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला पथरगामा थाना काण्ड संख्या-158/2021 दिनांक-21.09.2021 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-845/अप0शा0 दिनांक-07.03.2022 से धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17P-3512, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी मेघलाल टुडू, जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17P-3512, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17P-3512, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17P-3512, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक कुन्दन कुमार, पिता-राजेन्द्र यादव, सा0-सनातन, थाना-पथरगामा, जिला-गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17P-3512, ट्रेलर निबंधन

संख्या अंकित नहीं एवं उस पर बालू के विरूद्ध धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी को नोटिश का तामिला कराया गया। इसके बावजूद भी विपक्षी न तो उपस्थित हुए और न ही कारण–पृच्छा दाखिल किया गया।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। पथरगामा थाना काण्ड संख्या–158/2021 दिनांक–21.09.2021, भा0द0वि0 की धारा–379/411/34 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर पथरगामा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-3512, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को अबंदोवस्त बालू घाट से बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे अवैध बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से बालू चोरी एवं परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जप्त वाहन के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा से प्रतिवेदन प्राप्त है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि 8000.00 (आठ हजार) रू0 और चूँकि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन में अंकित है कि पूर्व में एक बार वाहन ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-3512 संलिप्त पाया गया है। इसलिए अतिरिक्त 50000.00 (पचास हजार) रू0 जुर्माना राशि भी लगाया जाता है। अतः कुल 58000.00 (अन्ठावन हजार) रू0 जुर्माना राशि एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित

शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त वाहन जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-3512, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी जुर्माना की राशि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में जमाकर रसीद की प्रति के साथ उपरोक्त शर्तो से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा एवं अन्य संबंधित को दें।

डी०सी०-130
01.11.22

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.12.12 12:10:42 +05:30
Location: 172.27.0.1